

22/000283

IV-304/18



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EB. 563964



1

स्टाम्प-700/-रुपया  
वार्ड-लोहियानगर

### न्यास पत्र

न्यास का नाम- ज्ञान चन्द्र चैरिटेबिल एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट

न्यास का पता- 11/191, विकास नगर, लखनऊ, 200010

1. संस्थापक प्रमुख- श्री राघवेन्द्र प्रताप पाण्डेय पुत्र स्व० श्री सी०पी० पाण्डेय।
2. यह कि न्यास का गठन रू०- 10000/- से आरम्भ किया जा रहा है।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EB 563965

2

3. यह कि संस्थापक द्वारा स्थापित उपरोक्त न्यास का रजि० कार्यालय 11/191, विकास नगर, लखनऊ होगा उक्त न्यास के कार्यों को सुचारु रूप से सम्पादित करने तथा इसके उद्देश्यों की सुगम प्राप्ति के बावत इसके कार्यालय देश तथा प्रदेशों की राजधानियों व विश्व के अन्य स्थानों पर भी स्थापना की जायेगी गठित की जाने वाली संस्थाओं का पंजीकरण भी आवश्यकतानुसार कराया जा सकेगा न्यास का कार्य क्षेत्र विश्व कल्याण की दृष्टि से सम्पूर्ण विश्व होगा।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EB 563966



3

4. यह कि न्यास के संस्थापक न्यास के मुख्य न्यासी/अध्यक्ष कहलायेंगे जिनके द्वारा न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति एवं संचालन व्यवस्था के लिए न्यास मण्डल का गठन करेंगे इस प्रकार गठित मण्डल के सदस्यों को न्यासी कहा जायेगा तथा मुख्य न्यासी द्वारा बनाये गये न्यासी प्रबन्धक व अन्य न्यासियों को संयुक्त रूप से न्यास मण्डल कहा जायेगा।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



4

5. निम्नलिखित व्यक्तियों जो कि न्यास के उद्देश्यों के अनुसार न्यास के हित में न्यासी के रूप में कार्य करने को सहमत हैं उनको न्यास का न्यासी नामित किया जाता है।

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE  
HUNDRED RUPEES



सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EB 563968

10 APR 2018

5

न्यास मण्डल

क्र०सं०	नाम, पिता का नाम, पता	पद	कार्य
01	राघवेन्द्र प्रताप पाण्डेय पुत्र स्व० श्री सी०पी० पाण्डेय 11/191, विकास नगर, लखनऊ, उ०प्र०	अध्यक्ष/मुख्य न्यासी	व्यापार
02	सरिता पाण्डेय पत्नी श्री राघवेन्द्र प्रताप पाण्डेय 11/191, विकास नगर, लखनऊ, उ०प्र०	उपाध्यक्ष/कोषाध्यक्ष	व्यापार



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EB 563970

10 APR 2010

6

03	श्री नमन पाण्डेय पुत्र श्री राघवेन्द्र प्रताप पाण्डेय 11/191, विकास नगर, लखनऊ, उ0प्र0	प्रबन्धक	व्यापार
04	श्री मयंक पाण्डेय पुत्र श्री राघवेन्द्र प्रताप पाण्डेय 11/191, विकास नगर, लखनऊ, उ0प्र0	उप प्रबन्धक	व्यापार
05	श्रीमती रेखा त्रिपाठी पत्नी श्री अरुण त्रिपाठी बी-12, सरस्वती पुरम, जानकी पुरम, लखनऊ	न्यासी	सामाजिक कार्यकर्ता

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE  
HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA  
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

EB. 563971

10 APR 2019

7

06	श्रीमती ज्ञानवती पत्नी स्व० श्री सी०पी० पाण्डेय 11/191, विकास नगर, लखनऊ, उ०प्र०	न्यासी	सामाजिक कार्यकर्ता
07	रोली टण्डन पुत्री श्री स्व० सतीश टंडन एस०एस०-1/368, सेक्टर ए, सीतापुर रोड योजना, लखनऊ उ०प्र०	न्यासी	व्यापार

*Handwritten signature*

### न्यास की प्रबन्ध व्यवस्था

1. न्यास के मुख्य न्यासी आजीवन अध्यक्ष होंगे जिन्हें अपने जीवन काल में अगले मुख्य न्यासी को नामित करने का अधिकार होगा।
2. न्यास के प्रबन्धक न्यासी, उपाध्यक्ष/कोषाध्यक्ष, उप-प्रबन्धक, न्यास के अजीवन सदस्य होंगे किन्तु आवश्यकतानुसार मुख्य न्यासी को इनके दिये गये कार्यों को बदलने व इनके दायित्वों को किसी और को सौंपने का अधिकार होगा यदि किन्हीं परिस्थितियों में अगले मुख्य न्यासी की नियुक्ति किये जाने से पूर्व मुख्य न्यासी की मृत्यु की दशा में उसकी विधिक उत्तराधिकारी स्वमेव न्यास के मुख्य न्यासी हो जाएंगे।
3. यदि किन्हीं परिस्थितियों में 1 से अधिक उत्तराधिकारी होते हैं तो न्यास मण्डल के आजीवन सदस्यों द्वारा मुख्य न्यासी का चयन 2/3 मतों द्वारा चयन किया जा सकेगा।
4. न्यास के हित को ध्यान में रखते हुए मुख्य न्यासी की अनुपस्थिति, बीमारी या कार्य अक्षमता की दशा में कोषाध्यक्ष और प्रबन्धक न्यासी संयुक्त रूप से न्यास के कार्यों के सम्पादन हेतु विधिक रूप से अधिकृत होंगे।
5. मुख्य ट्रस्टी द्वारा किसी न्यासी के ट्रस्ट की अपेक्षाओं के विरुद्ध कार्य करने की दशा में चाहे वह आजीवन ट्रस्टी ही क्यों न हो उसे न्यास मण्डल से हटाने का अधिकार होगा एवं उसकी जगह पर सुयोग्य एवं निष्ठावान व्यक्ति को मुख्य न्यासी एवं प्रबन्धक न्यासी या न्यास मण्डल की सहमति से





नए न्यासी की नियुक्ति करने का अधिकार होगा तथा वह न्यास मण्डल के स्वतः सदस्य कहलायेंगे।

6. न्यास मण्डल की वर्ष में 1 बार वार्षिक बैठक आवश्यक होगी तथा बैठक में न्यास द्वारा संचालित सभी समितियों संस्थाओं के प्रबन्धक व सचिव तथा अन्य पदाधिकारीगण भाग लेंगे इस बैठक को बुलाने की जिम्मेदारी प्रबन्धक न्यासी की होगी तथा वार्षिक बैठक की सूचना मुख्य न्यासी या प्रबन्धक न्यासी द्वारा 15 दिन पूर्व दी जायेगी। इस बैठक में भाग न लेने वाले सदस्यों की यह अयोग्यता समझी जायेगी कोई भी व्यक्ति मुख्य न्यासी की पूर्व अनुमति से ही वार्षिक बैठक से अनुपस्थित हो सकता है।
7. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मुख्य ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट की तथा ट्रस्ट द्वारा बनायी गई समितियों को सुचारुरूप से चलाने के लिए किसी भी सरकारी, अर्द्ध सरकारी या प्राइवेट बैंकों में खाता खोलने तथा उसमें प्राप्त धन को जमा करवाना तथा एकल हस्ताक्षर द्वारा धनराशि का आहरण मुख्य न्यासी/अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।
8. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों को नियुक्त करना तथा उनकी सेवा नियमावली बनाना होगा।
9. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थान तथा उक्त संस्थानों के साधारण सदस्य एवं कार्यकारिणी सदस्यों का चयन अध्यक्ष ट्रस्टी के एकल अधिकार से होगा।



10. ट्रस्ट के संस्थानों एवं उपसंस्थानों जिनका संचालन ट्रस्ट द्वारा किया जायेगा उसके समस्त वित्तीय लेन-देन व सम्पत्ति का क्रय-विक्रय व बैंकों के खातों का संचालन मुख्य ट्रस्टी अथवा उनके द्वारा अधिकृत ट्रस्टी द्वारा किया जायेगा किसी विषम परिस्थितियों या दोनों की अनुपस्थिति में आजीवन सदस्यों की आपसी सहमति से संचालन किया जायेगा।
11. किसी भी सामाजिक संस्थान या ट्रस्ट से दान के रूप में या सरकारी आर्थिक सहायता प्राप्त करना एवं समाजोत्थान हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना मुख्य ट्रस्टी के अधिकार में होगा।
12. ट्रस्ट द्वारा संचालित संस्थानों उप-संस्थानों, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय तथा उप-समितियों को गठित करने एवं भंग करने का अधिकार के साथ ही संस्थानों में अनियमितता करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को निलम्बित करना, सेवा समाप्त करना तथा प्रबन्धकारी समितियों को भंग करने का सर्वाधिकार सुरक्षित रखते हुए पुनः प्रबन्धकारणियों को गठित करने का अधिकार मुख्य ट्रस्टी को होगा।
13. आय तथा व्यय का हिसाब रखना व उनकी रसीदें प्राप्त करना मुख्य ट्रस्टी के हस्ताक्षर से ही मान्य होंगे।
14. मुख्य ट्रस्टी को यह अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट के नाम पर निवेश करे लाभ प्राप्त करे सम्पत्ति अर्जित करे तथा उन सबका प्रबन्धन तथा नियंत्रण ट्रस्ट की सम्पत्ति के विकास हेतु एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु करें।



15. ट्रस्ट से सम्बन्धित व ट्रस्ट के अन्तर्गत सभी कानूनी कार्यवाही सम्पन्न कराने एवं उसके लिए वकीलों/विशेषज्ञों की नियुक्ति का अधिकार मुख्य ट्रस्टी को होगा।
16. ट्रस्ट के सुचारुरूप संचालन के लिए उसकी सम्पत्तियों को बैंक से ऋण प्राप्त करने के लिए बंधक रखना एवं सम्पत्तियों के क्रय-विक्रय का अधिकार पूर्ण रूप से मुख्य न्यासी को सुरक्षित होगा।
17. यह कि संस्थाओं एवं सम्पत्तियों को संचालित करने के लिए किसी चल या अचल सम्पत्तियों के अधिग्रहण के लिए आवश्यक कार्यवाही कर सकेंगे व न्यास की सम्पत्तियों को किराये पर दे सकेंगे।
18. संस्था की उन्नति के लिए आवश्यक कार्य करना।
19. संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना।
20. संस्था का वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
21. उपरोक्त संस्थानों को संचालन हेतु प्रचलित शासकीय नियमों के अन्तर्गत ट्रस्ट के द्वारा संचालित संस्थाओं के प्रबन्ध समिति में नामित सदस्यों के समावेश की व्यवस्था करना मुख्य ट्रस्टी के दायित्व एवं विवेक से होगा।
22. मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था की चल-अचल सम्पत्तियों को ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क़य या विक्रय कर सकता है।



23. अध्यक्ष/मुख्य ट्रस्टी किसी भी समय किसी ट्रस्टी को ट्रस्ट के हितों के विपरीत कार्य करने पर कारण बताकर ट्रस्ट से निकाल सकते हैं।
24. किसी भी सामान्य उद्देश्य से किसी अन्य (ट्रस्ट) न्यास संस्था/समिति का संचालन एवं उसका विलय अपने ट्रस्ट में कर सकता है।
25. आगामी भविष्य में ट्रस्ट डीड में किसी भी प्रकार का परिवर्तन या नई पूरक ट्रस्ट डीड को बनाने का पूर्ण अधिकार अध्यक्ष/मुख्य न्यासी को ही होगा किसी भी दशा में कोई दूसरा पूरक ट्रस्ट डीड अवैधानिक एवं अमान्य होगी।

#### न्यास का कोष

1. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए न्यास का अपना एक कोष होगा जिसमें सभी प्रकार का सदस्यता शुल्क नेटवर्क के सहयोग से प्राप्त योगदान, दान, अनुदान, चन्दा, सरकारी, गैर सरकारी प्रतिष्ठानों से प्राप्त राशियां एवं ली गई ऋण राशियां निहित होंगी।
2. संस्था के संचालन हेतु संगृहीत धन का विवरण एवं लेखा-जोखा रखना संस्था वार्षिक आय-व्यय आदि का ब्योरा रखना एवं हस्ताक्षरित करना।

#### न्यास का उद्देश्य

1. समाज कल्याण विभाग उ०प्र० तथा केन्द्रीय एवं राज्य समाज सलाहकार बोर्ड, अवार्ड, भारत विकलांग, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार, अवार्ड, डी०आ०डी०ए०,



एच0आर0डी0ए0, नाबार्ड, आक्सकेम इण्डिया, वि व स्वास्थ्य संगठन, आ0सी0एच0, स्वास्थ्य मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, सिडबी पर्यावरण मन्त्रालय, स्वास्थ्य विभा/स्वास्थ्य मंत्रालय, विकलांग विभाग महिला कल्याण निगम, महिला कल्याण बोर्ड, राजीव गांधी फाउन्डेशन उ0प्र0, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार, हथकरघा मंत्रालय, सांस्कृतिक विभाग, शिक्षा विभाग, पशु मंत्रालय, विश्व बैंक, यू0पी0डी0ए0एस0पी0, डवाकरा, सैफ इण्डिया, महिला कल्याण बोर्ड/सरकारी तथा अर्धसरकारी वित्तीय संस्थाओं/आयोग/कमीशन, सूडा, डूडा, बैंकों वित्तीय निगमों, राष्ट्रीय एवं वित्तीय संस्थाओं एवं खादी ग्रामोद्योग बोड/आयेग/कमीशन/दानशील व्यक्तियों, विधायक निधि, सांसद निधि, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ, अल्पसंख्यक विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड, आयोग, निदेशालय, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, समाज सेवी संस्थाओं से दान अनुदान व चन्दा, ऋण प्राप्त करके उद्देश्यों की पूर्ति में लगाना।

2. समाज के निर्बल वर्गों तथा विकलांगों, निराश्रितों, अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्यों, वृद्धों, महिलाओं तथा बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न प्रकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना, संचालन करना तथा इनके पुनर्वास हेतु कार्य करना।

3. समाज में व्याप्त कुरीतियों यथा बालश्रम, वैश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति, बाल विवाह, मादक द्रव्य व्यसन तथा दहेजप्रथा आदि के उन्मूलन तथा पीडियों की पुर्नवास हेतु कार्य करना।
4. अशिक्षा के निवारण हेतु समुचित कार्य योजनाओं का निर्धारण करना, कोचिंग, संस्थानों, विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों की स्थापना, संचालन, रख-रखाव तथा प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देकर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को सफल बनाना।
5. बालक/बालिकाओं के स्वावलम्बन हेतु उन्हें तकनीकी भिक्षा और कम्प्यूटर भिक्षा उपलब्ध कराना तथा स्वरोजगार की स्थापना में उनका सहयोग करना।
6. ग्राम्य/नगरीय विकास और पुनः निर्माण कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाना व संचालन करना। आश्रयहीन नागरिकों के पुनर्वास हेतु कार्य करना।
7. सामाजिक हित से जुड़े मामलों में न्यायिक उपचार प्राप्त करना तथा गरीबों की न्याय तक पहुंच बनाने हेतु उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना।
8. अनाथालयों, विधवाश्रमों, वृद्धाश्रमों, बालगृहों, छात्रावासों, धर्मशालाओं, धर्मस्थलों, व्यायामशालाओं, वाचनालयों, पुस्तकालयों तथा दुर्बल वर्गों के लिए आवासों का निर्माण, रख रखाव व संचालन करना।
9. कृषि के संरचनात्मक तकनीकी तथा संस्थागत सुधार हेतु कार्य करना।



10. भूमि के उपचार तथा विकास जल के संचयन, संरक्षण व संवर्द्धन तथा भौमजन पुनर्भरीकरण हेतु कार्य करना, कृषि व उद्योगों में जल की बर्बादी की रोक थाम हेतु कार्य योजना बनाना तथा सामाजिक जागरूकता लाना।
11. पर्यावरण का अवनयन करने वाले कारकों की पहचान व रोक थाम कराना, इस हेतु सामाजिक जागृति लाना, सतत पर्यावरण विकास की स्थापना हेतु वृक्षारोपण बागवानी जैसे कार्यक्रमों का संचालन करना तथा पर्यावरण मित्र तकनीकों के विकास व उपयोग के प्रचार प्रसार हेतु कार्य करना और इस प्रकार सम्पूर्ण जैव विविधता का संरक्षण व संवर्धन करना, सूखाग्रस्त, रेगिस्तानी, जनजातीय तथा पर्वतीय क्षेत्रों के समग्र विकास हेतु योजना तैयार तथा संचालन करना।
12. रोगियों के उपचार तथा उनके स्वास्थ्य के संरक्षण व उन्नयन हेतु स्वास्थ्य संगठनों का गठन व संचालन करना, उपचार भावियों, गतिभीलों अस्पतालाओं तथा स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों गोष्ठियों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं का प्रचार करना। एड्स, कैंसर, पोलियो तथा अन्य संक्रमक व घातक बीमारियों से निपटने हेतु प्रयास नियंत्रण कार्यक्रमों को सफलता हेतु कार्य करना।
13. सभी व्यक्तियों के शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक विकास हेतु पुस्तकालयों, वाचनालयों, व्यायामशालाओं की स्थापना व संरक्षण, परिचर्चा गोष्ठियों, वाद-विवाद व सामान्य ज्ञान प्रतियोगिताओं तथा योग शिविरों का आयोजन करना।



14. प्राकृतिक व दुर्घटनाजन्य आपदाओं के प्रबन्धन हेतु कार्य योजना तैयार करना, राहत कार्यक्रम, सहायतार्थ कार्यक्रमों तथा चैरिटी फण्डों की स्थापना तथा संचालन करना।
15. विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण कार्यों, शोध कार्यों, जागरूकता कार्यों का सम्पन्न करना, शिक्षा खेल तथा शोध को बढ़ावा देना।
16. ऊर्जा के संरक्षण व संवर्धन हेतु कार्य करना, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की खोज तथा इनके प्रयोग को बढ़ावा देना।
17. स्वस्थ लोकतंत्र के विस्तार और संरक्षण हेतु कार्य करना, जागरूकता लाना।
18. समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, तथा अन्य राष्ट्रीय संस्थाओं और यूनीसेफ, विश्वबैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा संचालित लोक कल्याण कार्यक्रमों के संचालन, प्रसारण व कार्यान्वयन में सहयोग करना।
19. बालक/बालिकाओं को सर्वांगीण विकास हेतु समय पर प्रतियोगिताएं आयोजित करना तदर्थ प्रोत्साहित करना।
20. महिलाओं एवं शिशुओं के कल्याण हेतु ऐसे कार्यक्रमों का संचालन करना जिससे आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सृदृढ़ हो सके।
21. केन्द्र सरकार राज्य सरकार तथा स्थानीय विभागों नियमों द्वारा समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं को संचालित करना।





22. बालक/बालिकाओं के शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयों/शिक्षण केन्द्रों/मदरसों/महाविद्यालयों/डिग्री कॉलेज/बी०टी०सी०, बी०एड०, पॉलीटेकनिक/इंजीनियरिंग कॉलेज/फॉर्मसी कॉलेज/आयुर्वेदिक कॉलेज/ होम्योपैथिक कॉलेज/यूनानी कालेज/नर्सिंग कालेज/पैरामेडिकल कालेज/ मैनेजमेंट कालेज/ डेन्टल कॉलेज/ आई०टी०आई०/ बायोटेक्नॉलाजी कालेज/ओ० लेबिल कालेज/ लॉ कॉलेज/ महिला महाविद्यालय/ विकलांग महाविद्यालय/ क्षेत्रीय भाषाओं/फैशन टेक्नालॉजी/आर्काटेक्चर/ बी०एन०ई०डी०/2/3 वर्षीय/बी०एड, संगीत, फूट टेक्नालॉजी/ नेनो टेक्नालॉजी/स्पोर्ट/सैनिक, मायनिंग, पर्यावरण/ टेक्सटाइल/ डेयरी/पालिसर टेक्नालॉजी/सी०बी०एस०ई०/ आई०आई०एस०सी०/इण्टर कालेज/साइंस कॉलेज/महिला कॉलेज/ आपदा मैनेजमेंट/ बालिका विद्यालयों की स्थापना करना जिसमें प्राइमरी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की व्यवस्था करना तथा शासन की नीति के अनुसार अनुमोदित, पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन-अध्यापन की श्रेष्ठतम व्यवस्था करना एवं प्रतियोगिताओं के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
23. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पतालों की स्थापना एवं उनका संचालन करना।
24. बालगृह वृद्धा आश्रम महिला संरक्षण गृह/ आश्रयहीन का वस्त्र एवं स्वाद्यान उपलब्ध कराना।



25. रैन बसेरों की स्थापना एवं निर्धन कन्याओं के लिए सामूहिक विवाह कार्यक्रमों का आयोजन करना।
26. राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार/वर्कशॉप/कान्फेन्स का आयोजन करना।
27. जल संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, से सम्बन्धित सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन/प्रतिभाग करना।
28. कालान्तर में ट्रस्ट के सर्वांगीण विकास के पश्चात विश्वविद्यालय की स्थापना एवं उनका संचालन करना एवं वैकल्पिक ऊर्जा के शिक्षणों प्रशिक्षणों कॉलेजों की स्थापना एवं उनका संचालन करना ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य होगा।
29. न्यास मण्डल के समस्त सदस्यों ने सर्वसम्मत से निर्णय लिया कि उपरोक्त ट्रस्ट डीड को अध्यक्ष/मुख्य न्यासी निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निबन्धन कार्यालय में निबन्धित करायें इसके लिए अध्यक्ष/मुख्य न्यासी को अधिकृत किया जाता है।



लिहाजा बंदरूस्ती होशो हवास अपने बिना किसी जबर व दबाव के अपनी खुशी व रजामन्दी से ज्ञान चन्द्र चैरिटेबिल एण्ड एजुकेशनल ट्रस्ट के गठन व स्थापना के बावत यह न्यास पत्र समक्ष गवाहान हस्ताक्षरित एवम् निष्पादित कर दिया कि प्रमाण रहे और वक्त पर काम आवे।

लखनऊ

दिनांक: 28.04.2018

**साक्षीगण:-**



1. जितेन्द्र कुमार मिश्र  
पुत्र श्री एन0 के0 मिश्र  
पता 395/4, यूनिटी सिटी,  
कुर्सी रोड, लखनऊ।



2. आकाश श्रीवास्तव  
पुत्र श्री नीरज श्रीवास्तव  
पता पता 188/22, हाता दुर्गा प्रसाद,  
मशकगंज, लखनऊ।

टाईपकर्ता

(अशोक कुमार)



*[Handwritten signature]*

संस्थापक अध्यक्ष/ट्रस्टी

मसबिदकर्ता

नीरज श्रीवास्तव

दस्तावेज लेखक

ला0नं0-45, लखनऊ

वही संख्या 4 जिल्द संख्या 534 के पृष्ठ 171 से 208 तक  
क्रमांक 304 पर दिनांक 28/04/2018 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

मि. राजेश त्रिपाठी (प्रभारी) द्वारा उपरोक्त संख्या के पृष्ठों पर  
रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किया गया है।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

राकेश त्रिपाठी (प्रभारी)

उप निबंधक : सदर तृतीय

लखनऊ

आ.सं. 140.85

राजपत्रांक

मि. राजेश त्रिपाठी  
उप निबंधक  
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी  
लखनऊ



मि. राजेश त्रिपाठी  
उप निबंधक  
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी  
लखनऊ